

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—83/2021 (2021/343) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. सायरी पत्नि नेनु बलाई निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. हीरा पिता उदा सुथार निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पारस पिता केशु गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हरलाल पिता किशना गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रभु पिता उदयराम गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लादु पिता रूपा भील निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हजारी पिता रूपा भील निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारुख मोहम्मद —

प्रार्थीया अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.12.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम रामा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 407 रकबा 0.97 है 0 भूमि खाता संख्या 199 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे हैं। प्रार्थीया ने दिनांक 01.12.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 15.12.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 बावजुद सूचना के उपस्थित होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख




मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीया खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रामा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 407 रकबा 0.97 है० भूमि खाता संख्या 199 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




29/12/2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपस्थान्त अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—83/2021 (2021/343) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. सायरी पत्नि नेनु बलाई निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. हीरा पिता उदा सुथार निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पारस पिता केशु गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हरलाल पिता किशना गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रभु पिता उदयराम गुर्जर निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लादु पिता रूपा भील निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हजारी पिता रूपा भील निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत


उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीया के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 29.12.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम रामा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 407 रकबा 0.97 है0 भूमि खाता संख्या 199 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीया की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 29.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।




29/12/2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर, भीलवाड़ा